

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-127 / 2019

न्यू इंडिया एंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

बाहा सोरेन और अन्य

..... विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के० गुप्ता

याचिकाकर्ता के लिए :श्री डी०सी० घोष, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए :

04 / दिनांक : 31 जनवरी, 2020

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 29.11.2019 के पैरा-1 में टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण सी०एम०पी० सं०-479/2018 के स्थान पर, इसे कि०एम०पी० सं०-479/2018 के रूप में उल्लेख किया गया है, और पैरा-5 में एम०ए० सं०-26/2018 के स्थान पर एम०ए० सं०-267/2018 टाइप किया गया है, इसलिए पूर्वोक्त आदेश के संशोधन के लिए प्रार्थना करता है।

2. सुना। दिनांक 29.11.2019 के आदेश को इस हद तक संशोधित और सही किया गया है कि पैरा-1 में कि०एम०पी० सं०-479/2018 के स्थान पर, इसे सी०एम०पी० सं०-479/2018 पढ़ा जाएगा और पैरा-5 में एम०ए० सं०-267/2018 के स्थान पर, इसे एम०ए० सं०-26/2018 पढ़ा जाएगा।

(अमिताव के० गुप्ता, न्याया०)